Seventeenth Series, Vol. XXII No. 5

Monday, February 06, 2023
Magha 17, 1944 (Saka)

LOK SABHA DEBATES

(Original Version)

Eleventh Session
(Seventeenth Lok Sabha)

सत्यमेव जयते

(Vol. XXII contains Nos.1 to 10)

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

EDITORIAL BOARD

Utpal Kumar Singh
Secretary-General
Lok Sabha

Vinay Kumar Mohan
Joint Secretary

Jai Mukesh Shukla
Director

Narad Prasad Kimothi
Sunita Thapliyal
Joint Director

Meenakshi Rawat
Kamala Subramanian
Editor

© 2023 Lok Sabha Secretariat

None of the material may be copied, reproduced, distributed, republished, downloaded, displayed, posted or transmitted in any form or by any means, including but not limited to, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of Lok Sabha Secretariat. However, the material can be displayed, copied, distributed and downloaded for personal, non-commercial use only, provided the material is not modified and all copyright and other proprietary notices contained in the material are retained.

C O N T E N T S

Seventeenth Series, Vol. XXII, Eleventh Session, 2023/1944 (Saka)
No. 05, Monday, February 06, 2023/ Magha 17, 1944 (Saka)

S U B J E C T	P A G E S
WELCOME TO THE PARLIAMENTARY DELEGATION FROM BHUTAN	8
ORAL ANSWER TO QUESTION	
*Starred Question No. 41	9
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
Starred Question Nos. 42 to 60	12-67
Unstarred Question Nos. 461 to 690	68-754

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

OBSERVATION BY THE SPEAKER 10-11

Appeal to the Members to maintain proper decorum in the House and allow smooth functioning of Question Hour

PAPERS LAID ON THE TABLE 755-820

MATTERS UNDER RULE 377 821-840

(i) Need to run a new Demu train service between Gopalganj and Patna Junction Railway Station

Shri Janardan Singh Sigriwal 821

(ii) Regarding approval of the proposal for construction of roads under the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana in Latur district

Shri Sudhakar Tukaram Shrangare 822

(iii) Need to curb increasing air pollution in the country

Shri Satyadev Pachauri 823

(iv) Need to develop Acupressure Shodh Prashikshan Evam Upchar Sansthan in Prayagraj, Uttar Pradesh as a Centre of Excellence

Shrimati Keshari Devi Patel 824

(v) Regarding improvement in railway services in Gwalior Parliamentary Constituency

Shri Vivek Narayan Shejwalkar 825

(vi) Regarding construction of a ring road in Siddharthnagar district, Uttar Pradesh

Shri Jagdambika Pal 826

(vii) Regarding shortage of water in Delhi

Shri Parvesh Sahib Singh Verma 827

(viii) Need to construct a four lane road from Deharda Chauraha to Bangla Chauraha in Madhya Pradesh and also connect Ashoknagar in the State with National Highway

Shri Krishnapalsingh Yadav 828

(ix) Regarding adequate compensation to people of Gram Panchayats in Sanjay Gandhi Rashtriya Udyan in Sidhi Parliamentary Constituency facing displacement from their habitat.

Shrimati Riti Pathak 829

(x) Regarding mode of recruitment in government jobs in Rajasthan

Shrimati Jaskaur Meena 830

(xi) Regarding investigation into alleged illegal mining, irregularities in the implementation of the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana and seeking information on Aanganwadi Kendras in Bharatpur Parliamentary Constituency.

Shrimati Ranjeeta Koli 831

(xii) Need to construct washing line in Jagdalpur Railway station.

Shri Deepak Baij 832

(xiii) Regarding prevalence of drug related activities in various universities and educational institutions of Punjab

Shri Ravneet Singh 833

(xiv) Regarding sanction of funds for construction of a Railway Over Bridge (RoB) at Tarakeshwar in Arambagh Parliamentary Constituency

Shrimati Aparupa Poddar 834

(xv) Regarding four laning of National Highway Nos. 63 and 548C in Maharashtra

Shri Om Pavan Rajenimbalkar 835

(xvi) Regarding increase in passenger fare in Train Nos. 03271/72, 03395/96 and 03631/32 and other railway related issues in Nalanda Parliamentary Constituency

Shri Kaushlendra Kumar 836

(xvii) Regarding backfilling of Handidhua and Deulbera Mines in Mahanadi Coal Fields

Shri Bhartruhari Mahtab 837

(xviii) Need to draw a blueprint for all round development of Azamgarh district

Shrimati Sangeeta Azad 838

(xix) Regarding construction of bridges in Samastipur Parliamentary Constituency

Shri Prince Raj 839

(xx) Regarding proposal of Baramati Municipal Council for construction of a service road in Baramati

Shrimati Supriya Sadanand Sule 840

[*]ANNEXURE – I

Member-wise Index to Starred Questions 805

Member-wise Index to Unstarred Questions 806-812

***ANNEXURE – II**

Ministry-wise Index to Starred Questions 813

Ministry-wise Index to Unstarred Questions 814

[*] Available in Master copy of Debate, placed in Library.

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shri Om Birla

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shrimati Rama Devi

Dr. (Prof.) Kirit Premjibhai Solanki

Shri Rajendra Agrawal

Shri Kodikunnil Suresh

Shri A. Raja

Shri P.V. Midhun Reddy

Shri Bhartruhari Mahtab

Shri N.K. Premachandran

Dr. Kakoli Ghosh Dastidar

SECRETARY GENERAL

Shri Utpal Kumar Singh

LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

Monday, February 06, 2023/ Magha 17, 1944 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[**HON. SPEAKER** *in the Chair*]

WELCOME TO THE PARLIAMENTARY DELEGATION FROM BHUTAN

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, मुझे आपको सूचित करना है कि आज सदन में विशिष्ट दीर्घा में भूटान के संसदीय शिष्टमंडल के सदस्य विराजमान हैं।

मैं अपनी ओर से, सदन की ओर से, सभी माननीय सदस्यों की ओर से उनकी भारत यात्रा पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अतिथि भूटान की नेशनल असेम्बली के अध्यक्ष महामहिम वांगचुक नामग्याल जी और उनके संसदीय शिष्टमंडल का भारत में 5 फरवरी, 2023 को आगमन हुआ था। शिष्टमंडल के सदस्यगण दिल्ली के अलावा मुंबई और औरंगाबाद की यात्रा भी करेंगे। उनका शनिवार, 11 फरवरी, 2023 को भारत से प्रस्थान करने की योजना है।

हम अपने देश में उनके सुखद और सफल प्रवास की कामना करते हैं। उनके माध्यम से हम भूटान की संसद, वहां की सरकार और भूटान की मित्रवत जनता को अपनी ओर से बधाई और शुभकामनाएं देते हैं।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, संसद की कुछ गरिमा बनाए रखा करें। यह संसद है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्नकाल, प्रश्न संख्या – 41.

श्री मणिक्कम टैगोर जी।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : क्या आप प्रश्न पूछना चाहते हैं?

...(व्यवधान)

SHRI B. MANICKAM TAGORE: Sir, Question No.41……. (*Interruptions*)

श्री अधीर रंजन चौधरी : हमारी मांग है कि जेपीसी**…**(व्यवधान) हिन्दुस्तान में जिस तरह से आर्थिक…(व्यवधान)

SHRI B. MANICKAM TAGORE: Sir, Question No. 41……. (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : आपके माननीय सदस्य प्रश्न पूछ रहे हैं।

… (व्यवधान)

श्री बी. मणिक्कम टैगोर : सर, हाउस ऑर्डर में नहीं है। … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, क्या आप प्रश्न पूछना चाहते हैं?

आप अपने स्थान पर विराजें।

… (व्यवधान)

11.02 hrs.

ORAL ANSWER TO QUESTION

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न संख्या – 41, श्री मणिक्कम टैगोर जी।

(Q.41)

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी।

…(व्यवधान)

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री तथा श्रम और रोजगार मंत्री (श्री भूपेन्द्र यादव): माननीय अध्यक्ष महोदय, विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

… (व्यवधान)

_____

11.03 hrs.

At this stage, Shri Gaurav Gogoi, Shri Hibi Eden and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

… (व्यवधान)

11.03½ hrs.

OBSERVATION BY THE SPEAKER

Appeal to the Members to maintain proper decorum in the House and allow smooth functioning of Question Hour.

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मेरा आपसे आग्रह है कि संसद का समय बहुत महत्वपूर्ण है। आज देश के मजदूरों से संबंधित प्रश्न है। आप प्रश्न पूछें। माननीय मंत्री जी जवाब देने के लिए तैयार हैं। यह सदन देश की दिशा तय करता है। यह सदन चर्चा और संवाद के लिए है। आपको किसी विषय पर चर्चा और संवाद करना है, तो आप बातचीत करें। बिना बातचीत के केवल नियोजित तरीके से सदन को स्थगित कराना, उचित नहीं है। आपका जो भी विषय है, जो भी मुद्दा है, आप उसके लिए मेरे चैम्बर में आएं, बातचीत करें। मैं आपके हर बात पर, हर मुद्दे पर चर्चा कराने के लिए तैयार हूं, लेकिन आप चर्चा नहीं करना चाहते हैं, केवल वेल में नारेबाजी करना चाहते हैं। यह उचित नहीं है। आप सीट पर विराजें। आप मेरे चैम्बर में आएं। मैं आपको किसी भी विषय पर चर्चा और संवाद के लिए पर्याप्त मौका दूंगा। आप वेल में आकर नियोजित तरीके से सदन स्थगित करें, यह उचित नहीं है।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मैं आपसे फिर आग्रह करूँगा कि नारेबाजी करना देश की जनता के हित के लिए नहीं है। देश की जनता ने आपको चुनकर भेजा है। मजदूरों से संबंधित प्रश्न उठाया गया है। आप उनको मजदूरों से संबंधित प्रश्न उठाने दें। आपके सदस्य वहाँ विराजे हैं, आप उनको बोलने नहीं दे रहे हैं।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप यहाँ केवल नारेबाजी करने आए हैं। क्या आपको सदन में रोज़ यही करने के लिए जनता ने भेजा है? देश की जनता आपको देख रही है। आप उनके बुनियादी सवालों पर बात करें, चर्चा करें। मैं आपको हर मुद्दे पर चर्चा और संवाद के लिए पर्याप्त समय और पर्याप्त अवसर दूँगा।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर आप लोग व्यापक चर्चा कर सकते हैं। यह गलत है। नारेबाजी करना भारत की संसद की मर्यादाओं के अनुरूप नहीं है। आपने काफी वर्षों तक राज किया है। आपकी इतनी पुरानी पार्टी है। आपका इस तरह का व्यवहार उचित नहीं है।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, कृपया आप लोग अपनी-अपनी सीटों पर जाइए। माननीय सदस्य को आप लोग प्रश्न पूछने दीजिए। माननीय सदस्य प्रश्न पूछना चाहते हैं। मंत्री जी उनके प्रश्न का जवाब देना चाहते हैं।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : क्या आप लोग सदन नहीं चलने देना चाहते हैं? आप लोग सदन में चर्चा नहीं करना चाहते हैं, प्रश्न काल में सवाल नहीं उठाना चाहते हैं?

… (व्यवधान)

*WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

(Starred Question Nos. 42 to 60
Unstarred Question Nos. 461 to 690)
(Page No. 12 to 754)

माननीय अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही आज दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

11.07 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Fourteen of the Clock.

---

* Available in Master copy of Debate, placed in Library.

… (व्यवधान)

14.00 hrs.

The Lok Sabha re-assembled at Fourteen of the Clock.

(Dr. (Prof.) Kirit Premjibhai Solanki *in the Chair)*

… (व्यवधान)

14.00½ hrs

At this stage, Shri Kodikunnil Suresh, Shri Kalyan Banerjee and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

… (व्यवधान)

माननीय सभापति: माननीय सदस्यगण, कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। माननीय अध्यक्ष जी ने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है।

14.01 hrs

PAPERS LAID ON THE TABLE

माननीय सभापति: अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे।

श्री अर्जुन राम मेघवाल जी।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) : माननीय सभापति महोदय, श्री राव इंद्रजीत सिंह जी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 की धारा 40 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) कंपनी सचिव (परिषद के लिए निर्वाचन) (संशोधन) नियम, 2022 जो 8 दिसम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 866(अ) में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) सितम्बर, 2022 की अधिसूचना सं. 1 जो 7 सितम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा नई परिषद और क्षेत्रीय परिषदों, 2022 के गठन के लिए निर्वाचन को अधिसूचित किया गया है।

[Placed in Library, See No. LT 8578/17/23]

(2) (एक) भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड, नई दिल्ली के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8579/17/23]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) : माननीय सभापति महोदय, श्री अश्विनी कुमार चौबे जी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ. 5481 (अ) जो 31 दिसम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा कोयला या लिग्नाइट आधारित तापीय विद्युत संयंत्र से राख के उपयोग को अधिसूचित किया गया है।

(दो) का.आ. 5946 (अ) जो 20 दिसम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा गुजरात तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण के गठन को अधिसूचित किया गया है।

[Placed in Library, See No. LT 8580 /17/23]

(2) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 26 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) संकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमापारीय संचलन) संशोधन नियम, 2022, जो 21 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 593(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) संकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमापारीय संचलन) दूसरा संशोधन नियम, 2021, जो 15 नवम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 798(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(3) उपर्युक्त (2) की मद सं. (एक) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8581/17/23]

(4) (एक) केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8582/17/23]

(5) (एक) राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, चेन्नई के वर्ष 2018-2019 से 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, चेन्नई के वर्ष 2018-2019 से 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8583/17/23]

(7) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की वर्ष 2023-24 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8584/17/23]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) : माननीय सभापति महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) साहित्य अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(2) साहित्य अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8585/17/23]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी) : माननीय सभापति महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) सिक्का निर्माण अधिनियम, 2011 की धारा 25 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति ((हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सिक्का निर्माण (श्री अरविन्द की 150वीं जयंती के अवसर पर स्मारक सिक्का जारी किया जाना) नियम, 2022 जो दिनांक 9 दिसम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 869(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) सिक्का निर्माण (राष्ट्रीय कैडेट कोर की स्थापना के 75 वर्ष होने के अवसर पर स्मारक सिक्का जारी किया जाना) नियम, 2023 जो दिनांक 25 जनवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 51(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[Placed in Library, See No. LT 8586/17/23]

(2) सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ.5543 (अ) जो 30 नवम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर खाद्य तेल, ब्रॉस-स्क्रेप, स्वर्ण, चांदी और सुपारी पर टैरिफ मूल्य के संशोधन को अधिसूचित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 8587/17/23]

(दो) 1 दिसम्बर, 2022 की अधिसूचना संख्या 101/2022-सीमाशुल्क (एन.टी.) जिसके द्वारा आयातित और निर्यातित माल के लिए विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में परिवर्तित करने अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में परिवर्तित करने के लिए विनिमय की संशोधित दरों को अधिसूचित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 8588/17/23]

(तीन) का.आ.5869 (अ) जो 15 दिसम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर खाद्य तेल, ब्रॉस-स्क्रेप, स्वर्ण, चांदी और सुपारी पर टैरिफ मूल्य के संशोधन को अधिसूचित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 8589/17/23]

(चार) 15 दिसम्बर, 2022 की अधिसूचना संख्या 109/2022-सीमाशुल्क (एन.टी.) जिसके द्वारा आयातित और निर्यातित माल के लिए विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में परिवर्तित करने अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में परिवर्तित करने के लिए विनिमय की संशोधित दरों को अधिसूचित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 8590/17/23]

(पांच) पोस्ट द्वारा निर्यात (संशोधन) विनियम, 2022 जो दिनांक 10 दिसम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 873(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) डाक निर्यात (इलेक्ट्रॉनिक घोषणा और प्रसंस्करण) विनियम, 2022 जो दिनांक 10 दिसम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 874(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा.का.नि. 904(अ) जो दिनांक 26 दिसम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा भारत-आस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते के संबंध में प्रशुल्क छूटों के पहले भाग को अधिसूचित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा.का.नि. 906(अ) जो दिनांक 27 दिसम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 1 जून, 2011 की अधिसूचना सं. 46/2011-सीमाशुल्क को संशोधित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा.का.नि. 908(अ) जो दिनांक 29 दिसम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा भारत-आस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते के संबंध में प्रशुल्क छूटों के दूसरे भाग को अधिसूचित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा.का.नि. 909(अ) जो दिनांक 29 दिसम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 13 अक्तूबर, 2021 की अधिसूचना सं. 48/2011-सीमाशुल्क और 13 अक्तूबर, 2021 की अधिसूचना सं. 49/2011-सीमाशुल्क को संशोधित करना है ताकि विनिर्दिष्ट खाद्य तेलों और दालों पर वर्तमान छूट आयात शुल्कों को 31 मार्च, 2024 तक बढ़ाया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा.का.नि. 22(अ) जो दिनांक 13 जनवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा भारत में आयातित किए जाने वाले कोविड-19 टीकों को, उन पर उद्ग्रहणीय सीमाशुल्क के पूर्ण शुल्क से छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 8591/17/23]

(3) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उप-धारा (7) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 890(अ) जो 20 दिसम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय डीजीटीआर द्वारा जारी अद्यतन अंतिम निष्कर्षों के अनुपालन में चीन जनवादी गणराज्य से उद्भूत या वहां से निर्यातित और भारत में आयातित ''स्टेनलेस-स्टील सीमलेस ट्यूब्स एण्ड पाइप्स'' के आयातों पर प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 905(अ) जो 27 दिसम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय डीजीटीआर द्वारा जारी अद्यतन अंतिम निष्कर्षों के अनुपालन में चीन जनवादी गणराज्य से उद्भूत या वहां से निर्यातित और भारत में आयातित ''सेमी-फिनिस्ड ऑपथैलमिक लेंसेस'' के आयातों पर प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 914(अ) जो 30 दिसम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय बांग्लादेश और नेपाल से उद्भूत या वहां से निर्यातित ''जून यार्न/ट्वाइन (मल्टीपल फोल्डेड/केब्ल्ड और एकल), हेसियन फेब्रिक, जूट सेकिंग बैग्स और जूट सेकिंग क्लॉथ से बने जूट उत्पादों'' के आयातों पर प्रतिपाटन शुल्क के उद्ग्रहण को जारी रखना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 12(अ) जो 6 जनवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य से उद्भूत या वहां से निर्यातित और भारत में 9 जुलाई, 2023 तक आयातित ''फिशिंग नेट'' के आयातों पर प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.नि. 893(अ) जो 21 दिसम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 28 अप्रैल, 2022 की अधिसूचना सं. 2/2022-सीमाशुल्क में कतिपय संशोधन किए गए हैं ताकि डीजीटीआर अनुशंसा के अनुपालन में उत्पादक ''मेसर्स कोबेल्को एण्ड मेटेरियल्स कॉपर ट्यूब्स (थाइलैंड) को., लि.'' का नाम परिवर्तित करके केएमसीटी (थाइलैंड) को., लि. किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 8592/17/23]

(4) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 4 (अ) जो दिनांक 2 जनवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा विमानन टर्बाइन ईंधन के निर्यात और पेट्रोल क्रूड के उत्पादन पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क बढ़ाने के लिए 19 जुलाई, 2022 की अधिसूचना सं. 18/2022-केंद्रीय उत्पाद शुल्क में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 5 (अ) जो दिनांक 2 जनवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा डीजल पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क बढ़ाने के लिए 30 जून, 2022 की अधिसूचना सं. 04/2022-केंद्रीय उत्पाद शुल्क में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 23 (अ) जो दिनांक 16 जनवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा विमानन टर्बाइन ईंधन के निर्यात और पेट्रोल क्रूड के उत्पादन पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क बढ़ाने के लिए 19 जुलाई, 2022 की अधिसूचना सं. 18/2022-केंद्रीय उत्पाद शुल्क में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 24 (अ) जो दिनांक 16 जनवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा डीजल पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क बढ़ाने के लिए 30 जून, 2022 की अधिसूचना सं. 04/2022-केंद्रीय उत्पाद शुल्क में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 8593/17/23]

(5) धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 74 के अंतर्गत धन-शोधन निवारण (रिकार्डों का रख-रखाव) संशोधन नियम, 2022 जो 14 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 575(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 8594/17/23]

(6) स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 77 के अधीन निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ (नियंत्रित पदार्थों का विनियमन) संशोधन आदेश, 2022 जो 27 अक्तूबर, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 792(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) का.आ. 4427 (अ) जो 22 सितम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित कतिपय पदार्थों, लवणों और निर्मितियों को विनिर्मित औषधों के रूप में अधिसूचित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) का.आ. 4428 (अ) जो 22 सितम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की अनुसूची में विनिर्दिष्ट मन:प्रभावी पदार्थों की सूची में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) का.आ. 4429 (अ) जो 22 सितम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 19 अक्तूबर, 2001 की अधिसूचना सं. का.आ. 1055 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) का.आ. 5318 (अ) जो 16 नवम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित कतिपय पदार्थों, लवणों और निर्मितियों को विनिर्मित औषधों के रूप में अधिसूचित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) का.आ. 5319 (अ) जो 16 नवम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की अनुसूची में विनिर्दिष्ट मन:प्रभावी पदार्थों की सूची में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) का.आ. 5320 (अ) जो 16 नवम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 19 अक्तूबर, 2001 की अधिसूचना सं. का.आ. 1055 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 8595/17/23]

(7) केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 877 (अ) जो 13 दिसम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय तमिलनाडु के कतिपय जिलों में व्यापार के प्रमुख स्थान वाले पंजीकृत व्यक्तियों के लिए नवम्बर, 2022 के लिए प्ररूप जीएसटीआर1 प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित तारीख को बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) केंद्रीय माल और सेवा कर (पांचवां संशोधन) नियम, 2022 जो 26 दिसम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 902(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 903(अ) जो 26 दिसम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया है कि केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के उप-नियम (4क) के उपबंध गुजरात राज्य के अलावा अन्य राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में लागू नहीं होंगे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 916(अ) जो 30 दिसम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 17.12.2022 को हुई जीएसटी परिषद की 48वीं बैठक द्वारा यथाअनुशंसित वस्तुओं की आपूर्ति के संबंध में 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. 01/2017-केंद्रीय कर (दर) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.नि. 919(अ) जो 30 दिसम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 17.12.2022 को हुई जीएसटी परिषद की 48वीं बैठक द्वारा यथाअनुशंसित वस्तुओं की आपूर्ति के संबंध में 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. 02/2017-केंद्रीय कर (दर) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा.का.नि. 922(अ) जो 30 दिसम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 17.12.2022 को हुई जीएसटी परिषद की 48वीं बैठक द्वारा यथाअनुशंसित वस्तुओं की आपूर्ति के संबंध में 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. 04/2017-केंद्रीय कर (दर) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा.का.नि. 926(अ) जो 30 दिसम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 17.12.2022 को हुई जीएसटी परिषद की 48वीं बैठक द्वारा यथाअनुशंसित वस्तुओं की आपूर्ति के संबंध में 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. 12/2017-केंद्रीय कर (दर) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 8596/17/23]

(8) भारतीय प्रतिभूति मुद्रण और मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड तथा वित्त मंत्रालय के बीच वर्ष 2022-23 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8597/17/23]

(9) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 31 तथा प्रतिभूति संविदा (विनियम) अधिनियम, 1956 की धारा 31 की उपधारा (3) के अंतर्गत भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मध्यवर्ती) (संशोधन) विनियम, 2022 जो 1 अगस्त, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2022/91 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 8598/17/23]

(10) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 31 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(एक) प्रतिभूति संविदा (विनियम) (स्टॉक एक्सचेंज एंड क्लीयरिंग कारपोरेशन) (संशोधन) विनियम, 2022 जो 12 अगस्त, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2022/93 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (बोर्ड बैठकों के लिए प्रक्रिया) (संशोधन) विनियम, 2022 जो 9 दिसम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2022/110 में प्रकाशित हुए थे।

[Placed in Library, See No. LT 8599/17/23]

(11) (एक) अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्त प्रबंधन संस्थान, फरीदाबाद के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्त प्रबंधन संस्थान, फरीदाबाद के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्त प्रबंधन संस्थान, फरीदाबाद के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8600/17/23]

(12) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[Placed in Library, See No. LT 8601/17/23]

(13) एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 24 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 917(अ) जो 30 दिसम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 17.12.2022 को हुई जीएसटी परिषद की 48वीं बैठक द्वारा यथाअनुशंसित वस्तुओं की आपूर्ति के संबंध में 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. 01/2017-एकीकृत कर (दर) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 920(अ) जो 30 दिसम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 17.12.2022 को हुई जीएसटी परिषद की 48वीं बैठक द्वारा यथाअनुशंसित वस्तुओं की आपूर्ति के संबंध में 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. 02/2017-एकीकृत कर (दर) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 923(अ) जो 30 दिसम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 17.12.2022 को हुई जीएसटी परिषद की 48वीं बैठक द्वारा यथाअनुशंसित वस्तुओं की आपूर्ति के संबंध में 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. 04/2017-एकीकृत कर (दर) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 927(अ) जो 30 दिसम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 17.12.2022 को हुई जीएसटी परिषद की 48वीं बैठक द्वारा यथाअनुशंसित वस्तुओं की आपूर्ति के संबंध में 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. 09/2017-एकीकृत कर (दर) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 8602/17/23]

(14) संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 24 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 918(अ) जो 30 दिसम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 17.12.2022 को हुई जीएसटी परिषद की 48वीं बैठक द्वारा यथाअनुशंसित वस्तुओं की आपूर्ति के संबंध में 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. 01/2017- संघ राज्यक्षेत्र कर (दर) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 921(अ) जो 30 दिसम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 17.12.2022 को हुई जीएसटी परिषद की 48वीं बैठक द्वारा यथाअनुशंसित वस्तुओं की आपूर्ति के संबंध में 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. 02/2017- संघ राज्यक्षेत्र कर (दर) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 924(अ) जो 30 दिसम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 17.12.2022 को हुई जीएसटी परिषद की 48वीं बैठक द्वारा यथाअनुशंसित वस्तुओं की आपूर्ति के संबंध में 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. 04/2017- संघ राज्यक्षेत्र कर (दर) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 928(अ) जो 30 दिसम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 17.12.2022 को हुई जीएसटी परिषद की 48वीं बैठक द्वारा यथाअनुशंसित वस्तुओं की आपूर्ति के संबंध में 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. 12/2017- संघ राज्यक्षेत्र कर (दर) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 8603/17/23]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) : माननीय सभापति महोदय, श्री राजीव चन्द्रशेखर जी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरप्रेन्योरशिप, गुवाहाटी के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरप्रेन्योरशिप, गुवाहाटी के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8604/17/23]

(2) (एक) राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान, नोएडा के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान, नोएडा के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8605/17/23]

(3) कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय की वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिंदी और अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8606/17/23]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CULTURE (SHRIMATI MEENAKASHI LEKHI): Sir, I beg to lay on the Table:-

(1) (i) A copy each of the Annual Reports (Hindi and English versions) of the Namgyal Institute of Tibetology, Gangtok, for the years 2019-2020 and 2020-2021, along with Audited Accounts.

(ii) A copy each of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Namgyal Institute of Tibetology, Gangtok, for the years 2019-2020 and 2020-2021.

(2) Two statements (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 8607/17/23]

(3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Nava Nalanda Mahavira, Nalanda, for the year 2020-2021.

(ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Nava Nalanda Mahavira, Nalanda, for the year 2020-2021, together with Audit Report thereon.

(iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Nava Nalanda Mahavira, Nalanda, for the year 2020-2021.

(4) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (3) above.

[Placed in Library, See No. LT 8608/17/23]

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका सिंह सरुता) : माननीय सभापति महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:-

(1) (एक) रामकृष्ण मिशन आश्रम, नारायणपुर, छत्तीसगढ़ के वर्ष 2017-2018 से 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रामकृष्ण मिशन आश्रम, नारायणपुर, छत्तीसगढ़ के वर्ष 2017-2018 से 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8609/17/23]

(2) (एक) रामकृष्ण मिशन, नरोत्तम नगर, अरुणाचल प्रदेश के वर्ष 2017-2018 से 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रामकृष्ण मिशन, नरोत्तम नगर, अरुणाचल प्रदेश के वर्ष 2017-2018 से 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8610/17/23]

(3) (एक) रामकृष्ण शारदा मिशन, खोंसा, तिरप, अरुणाचल प्रदेश के वर्ष 2017-2018 से 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रामकृष्ण शारदा मिशन, खोंसा, तिरप, अरुणाचल प्रदेश के वर्ष 2017-2018 से 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8611/17/23]

(4) (एक) द हिमालयन बुद्धिस्ट कल्चरल एसोसिएशन, कुल्लू, हिमाचल प्रदेश के वर्ष 2017-2018 से 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) द हिमालयन बुद्धिस्ट कल्चरल एसोसिएशन, कुल्लू, हिमाचल प्रदेश के वर्ष 2017-2018 से 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8612/17/23]

(5) (एक) द इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडीज इन बुद्धिस्ट फिलॉसफी एंड ट्राइबल कल्चरल सोसाइटी (आईएसबीपी एंड टीसीएस), लाहौल और स्पीति, हिमाचल प्रदेश के वर्ष 2017-2018 और 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) द इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडीज इन बुद्धिस्ट फिलॉसफी एंड ट्राइबल कल्चरल सोसाइटी (आईएसबीपी एंड टीसीएस),

लाहौल और स्पीति, हिमाचल प्रदेश के वर्ष 2017-2018 और 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8613/17/23]

(6) (एक) द रिनचेन जांगपो सोसायटी फॉर स्पीति डेवलपमेंट, लाहौल और स्पीति, हिमाचल प्रदेश के वर्ष 2017-2018 से 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) द रिनचेन जांगपो सोसायटी फॉर स्पीति डेवलपमेंट, लाहौल और स्पीति, हिमाचल प्रदेश के वर्ष 2017-2018 से 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8614/17/23]

(7) (एक) राजस्थान बाल कल्याण समिति, उदयपुर, राजस्थान, के वर्ष 2016-2017 से 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राजस्थान बाल कल्याण समिति, उदयपुर, राजस्थान, के वर्ष 2016-2017 से 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8615/17/23]

(8) (एक) वनस्थली विद्यापीठ, टोंक, राजस्थान, के वर्ष 2017-2018 और 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) वनस्थली विद्यापीठ, टोंक, राजस्थान, के वर्ष 2017-2018 और 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8616/17/23]

(9) (एक) ग्रामीया मक्कल अबिरुधि इयक्कम, कोयम्बटूर, तमिलनाडु के वर्ष 2017-2018 से 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ग्रामीया मक्कल अबिरुधि इयक्कम, कोयम्बटूर, तमिलनाडु के वर्ष 2017-2018 से 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8617/17/23]

(10) (एक) भारत सेवाश्रम संघ औरंगाबाद, मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल के वर्ष 2017-2018 और 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारत सेवाश्रम संघ औरंगाबाद, मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल के

वर्ष 2017-2018 और 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8618/17/23]

(11) (एक) भारत सेवाश्रम संघ बालुरघाट, दक्षिण, दिनाजपुर, पश्चिम बंगाल, के वर्ष 2017-2018 से 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारत सेवाश्रम संघ बालुरघाट, दक्षिण, दिनाजपुर, पश्चिम बंगाल के वर्ष 2017-2018 से 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8619/17/23]

(12) (एक) भारत सेवाश्रम संघ बेलडांगा, मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल के वर्ष 2017-2018 से 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारत सेवाश्रम संघ बेलडांगा, मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल के वर्ष 2017-2018 और 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8620/17/23]

(13) (एक) भारत सेवाश्रम संघ मुलुक बोलपुर, बीरभूम, पश्चिम बंगाल के वर्ष 2017-2018 से 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदनों की

एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारत सेवाश्रम संघ मुलुक बोलपुर, बीरभूम, पश्चिम बंगाल के वर्ष 2017-2018 से 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8621/17/23]

(14) (एक) भारत सेवाश्रम संघ कुसुरिया शाखा, नादिया, पश्चिम बंगाल के वर्ष 2017-2018 और 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारत सेवाश्रम संघ कुसुरिया शाखा, नादिया, पश्चिम बंगाल के वर्ष 2017-2018 और 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8622/17/23]

(15) (एक) गोहलडीहा जाति उपजाति ब्लू बर्ड वुमेन्स वेलफेयर सेंटर, झारग्राम, पश्चिम बंगाल के वर्ष 2017-2018 और 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) गोहलडीहा जाति उपजाति ब्लू बर्ड वुमेन्स वेलफेयर सेंटर, झारग्राम, पश्चिम बंगाल के वर्ष 2017-2018 और 2018-2019

के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8623/17/23]

(16) (एक) भारत सेवाश्रम संघ, कुनोर, उत्तर दिनाजपुर, पश्चिम बंगाल के वर्ष 2018-2019 और 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारत सेवाश्रम संघ, कुनोर, उत्तर दिनाजपुर, पश्चिम बंगाल के वर्ष 2018-2019 और 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8624/17/23]

(17) (एक) उत्तर प्रदेश वनवासी सेवा संस्थान, पलिया कलां खीरी, उत्तर प्रदेश के वर्ष 2019-2020 और 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) उत्तर प्रदेश वनवासी सेवा संस्थान, पलिया कलां खीरी, उत्तर प्रदेश के वर्ष 2019-2020 और 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8625/17/23]

(18) (एक) खांडेराव एजुकेशन सोसाइटी, धुले, महाराष्ट्र के वर्ष 2017-2018 से 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) खांडेराव एजुकेशन सोसाइटी, धुले, महाराष्ट्र के वर्ष 2017-2018 से 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8626/17/23]

(19) (एक) केशव ग्रामोत्थान शिक्षण समिति, जिला डिंडोरी, मध्य प्रदेश के वर्ष 2017-2018 से 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केशव ग्रामोत्थान शिक्षण समिति, जिला डिंडोरी, मध्य प्रदेश के वर्ष 2017-2018 से 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8627/17/23]

(20) (एक) राजेन्द्र आश्रम ट्रस्ट, जिला झबुआ, मध्य प्रदेश के वर्ष 2017-2018 और 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राजेन्द्र आश्रम ट्रस्ट, जिला झबुआ, मध्य प्रदेश के वर्ष 2017-2018 और 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8628/17/23]

(21) (एक) संधि निकेतन शिक्षण संस्था, वडगांव जिला नांदेड, महाराष्ट्र के वर्ष 2017-2018 से 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) संधि निकेतन शिक्षण संस्था, वडगांव जिला नांदेड, महाराष्ट्र के वर्ष 2017-2018 से 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8629/17/23]

(22) (एक) सव्य सांची सेंटर फॉर अर्बन एण्ड रूरल डेवलपमेंट, सीधी, मध्य प्रदेश के वर्ष 2016-2017 से 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सव्य सांची सेंटर फॉर अर्बन एण्ड रूरल डेवलपमेंट, सीधी, मध्य प्रदेश के वर्ष 2016-2017 से 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8630/17/23]

(23) (एक) श्री गणेश फाउंडेशन, धुले, महाराष्ट्र के वर्ष 2017-2018 से 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) श्री गणेश फाउंडेशन, धुले, महाराष्ट्र के वर्ष 2017-2018 से 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8631/17/23]

(24) (एक) चांदराई महिला मंडल, धुले, महाराष्ट्र के वर्ष 2018-2019 से 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) चांदराई महिला मंडल, धुले, महाराष्ट्र के वर्ष 2018-2019 से 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8632/17/23]

(25) (एक) श्री कोटूलेश्वर शिक्षण प्रसारक मंडल कोतूल, महाराष्ट्र के वर्ष 2018-2019 से 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) श्री कोटूलेश्वर शिक्षण प्रसारक मंडल कोतूल, महाराष्ट्र के वर्ष 2018-2019 से 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8633/17/23]

(26) (एक) श्री स्वामी स्वयं सेवा भावी संस्था,धुले,महाराष्ट्र के वर्ष 2019-2020 से 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) श्री स्वामी स्वयं सेवा भावी संस्था, धुले, महाराष्ट्र के वर्ष 2019-2020 से 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8634/17/23]

(27) (एक) मिशन फाउंडेशन मूवमेंट, मिजोरम के वर्ष 2019-2020 और 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मिशन फाउंडेशन मूवमेंट, मिजोरम के वर्ष 2019-2020 और 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8635/17/23]

(28) (एक) वसंथा लक्ष्मी चैरिटेबल ट्रस्ट एण्ड रिसर्च सेंटर, आंध्र प्रदेश के वर्ष 2020-2021 और 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) वसंथा लक्ष्मी चैरिटेबल ट्रस्ट एण्ड रिसर्च सेंटर, आंध्र प्रदेश के वर्ष 2020-2021 और 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8636/17/23]

(29) (एक) डॉ. अंबेडकर मिशन, असम के वर्ष 2019-2020 से 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) डॉ. अंबेडकर मिशन, असम के वर्ष 2019-2020 से 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8637/17/23]

(30) (एक) बंधेवल शिक्षा समिति, मध्य प्रदेश के वर्ष 2019-2020 और 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बंधेवल शिक्षा समिति, मध्य प्रदेश के वर्ष 2019-2020 और 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8638/17/23]

(31) (एक) भारत सेवाश्रम संघ, दुमका, झारखंड के वर्ष 2017-2018 और 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारत सेवाश्रम संघ, दुमका, झारखंड के वर्ष 2017-2018 और 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8639/17/23]

(32) (एक) भारत सेवाश्रम संघ, (पाकुड़), झारखंड के वर्ष 2017-2018 से 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारत सेवाश्रम संघ, (पाकुड़), झारखंड के वर्ष 2017-2018 से 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8640/17/23]

(33) (एक) भारत सेवाश्रम संघ, (सोनारी), पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, झारखंड के वर्ष 2017-2018 से 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारत सेवाश्रम संघ, (सोनारी), पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, झारखंड के वर्ष 2017-2018 से 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8641/17/23]

(34) (एक) भारत सेवाश्रम संघ, (रांची यूनिट), झारखण्ड के वर्ष 2017-2018 से 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारत सेवाश्रम संघ, (रांची यूनिट), झारखण्ड के वर्ष 2017-2018 से 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8642/17/23]

(35) (एक) आर.के मिशन टीबी सेनेटोरियम, रांची, झारखण्ड के वर्ष 2017-2018 से 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) आर.के मिशन टीबी सेनेटोरियम, रांची, झारखण्ड के वर्ष 2017-2018 से 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8643/17/23]

(36) (एक) क्रिस्चियन ग्रामर स्कूल, मणिपुर के वर्ष 2017-2018 और 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) क्रिस्चियन ग्रामर स्कूल, मणिपुर के वर्ष 2017-2018 और 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8644/17/23]

(37) (एक) सिआमसिनपालपी, मणिपुर के वर्ष 2017-2018 से 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सिआमसिनपालपी, मणिपुर के वर्ष 2017-2018 और 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8645/17/23]

(38) (एक) आर.के. मिशन आश्रम, चेरापूंजी, मेघालय के वर्ष 2017-2018 से 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) आर.के. मिशन आश्रम, चेरापूंजी, मेघालय के वर्ष 2017-2018 से 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8646/17/23]

(39) (एक) इंटिग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट एण्ड एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन, मणिपुर के वर्ष 2018-2019 और 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंटिग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट एण्ड एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन, मणिपुर के वर्ष 2018-2019 और 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8647/17/23]

(40) (एक) भारत सेवाश्रम संघ, नवसारी, गुजरात के वर्ष 2017-2018 से 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारत सेवाश्रम संघ, नवसारी, गुजरात के वर्ष 2017-2018 से 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8648/17/23]

(41) (एक) स्वामी विवेकानंद यूथ मूवमेंट, मैसूर, कर्नाटक के वर्ष 2017-2018 से 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) स्वामी विवेकानंद यूथ मूवमेंट, मैसूर, कर्नाटक के वर्ष 2017-2018 से 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8649/17/23]

(42) (एक) विवेकानंद गिरिजन कल्याण केंद्र, चामराजनगर, कर्नाटक के वर्ष 2017-2018 और 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) विवेकानंद गिरिजन कल्याण केंद्र, चामराजनगर, कर्नाटक के वर्ष 2017-2018 और 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8650/17/23]

(43) (एक) संकल्प, कटक, ओडिशा के वर्ष 2017-2018 से 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) संकल्प, कटक, ओडिशा के वर्ष 2017-2018 से 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8651/17/23]

(44) (एक) श्री रामकृष्ण आश्रम, कालाहांडी, ओडिशा के वर्ष 2017-2018 और 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) श्री रामकृष्ण आश्रम, कालाहांडी, ओडिशा के वर्ष 2017-2018 और 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8652/17/23]

(45) (एक) होली होम, जिला नौपद, ओडिशा के वर्ष 2017-2018 से 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) होली होम, जिला नौपद, ओडिशा के वर्ष 2017-2018 से 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8653/17/23]

(46) (एक) निखिल उत्कल हरिजन आदिवासी सेवा संघ, भुवनेश्वर, ओडिशा के वर्ष 2019-2020 और 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) निखिल उत्कल हरिजन आदिवासी सेवा संघ, भुवनेश्वर, ओडिशा के वर्ष 2019-2020 और 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8654/17/23]

(47) (एक) सर्वोदय समिति, कोरापुट, ओडिशा के वर्ष 2019-2020 और 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सर्वोदय समिति, कोरापुट, ओडिशा के वर्ष 2019-2020 और 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8655/17/23]

(48) (एक) कोरापुट डेवलपमेंट फाउण्डेशन, कोरापुट, ओडिशा के वर्ष 2017-2018 से 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कोरापुट डेवलपमेंट फाउण्डेशन, कोरापुट, ओडिशा के वर्ष 2017-2018 से 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(49) उपर्युक्त (1) से (48) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले अड़तालीस विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8656/17/23]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) : माननीय सभापति महोदय, श्री रामेश्वर तेली जी की ओर से, मैं वर्ष 2023-2024 के लिए श्रम और रोजगार मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[Placed in Library, See No. LT 8657/17/23]

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सुभाष सरकार) : माननीय सभापति महोदय, श्रीमती अन्नपुर्णा देवी जी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) समग्र शिक्षा संबंधी हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद, पंचकूला के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) समग्र शिक्षा संबंधी हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद, पंचकूला के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8658/17/23]

(2) (एक) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8659/17/23]

(3) (एक) केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8660/17/23]

(4) (एक) केन्द्रीय तिब्बती विद्यालय प्रशासन, दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) केन्द्रीय तिब्बती विद्यालय प्रशासन, दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) केन्द्रीय तिब्बती विद्यालय प्रशासन, दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8661/17/23]

(5) (एक) राष्ट्रीय बाल भवन, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय बाल भवन, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8662/17/23]

(6) (एक) नवोदय विद्यालय समिति, नोएडा के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नवोदय विद्यालय समिति, नोएडा के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नवोदय विद्यालय समिति, नोएडा के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8663/17/23]

(7) (एक) समग्र शिक्षा, सिक्किम राज्य के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) समग्र शिक्षा, सिक्किम राज्य के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8664/17/23]

(9) (एक) समग्र शिक्षा, पुदुचेरी के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) समग्र शिक्षा, पुदुचेरी के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8665/17/23]

(10) (एक) समग्र शिक्षा, यूटी मिशन प्राधिकरण, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) समग्र शिक्षा, यूटी मिशन प्राधिकरण, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8666/17/23]

(11) (एक) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8667/17/23]

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (एडवोकेट अजय भट्ट) : माननीय सभापति महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड एप्लाइड न्यूट्रिशन, बंगलौर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड एप्लाइड न्यूट्रिशन, बंगलौर के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8668/17/23]

(2) (एक) इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड एप्लाइड न्यूट्रिशन, भोपाल के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड एप्लाइड न्यूट्रिशन, भोपाल के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक

प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8669/17/23]

(3) (एक) इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड एप्लाइड न्यूट्रिशन, भुवनेश्वर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड एप्लाइड न्यूट्रिशन, भुवनेश्वर के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8670/17/23]

(4) (एक) डॉ. अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड एप्लाइड न्यूट्रिशन, चंडीगढ़ के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) डॉ. अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड एप्लाइड न्यूट्रिशन, चंडीगढ़ के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8671/17/23]

(5) (एक) इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड एप्लाइड न्यूट्रिशन, चेन्नई के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड एप्लाइड न्यूट्रिशन, चेन्नई के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8672/17/23]

(6) (एक) इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड एप्लाइड न्यूट्रिशन, गांधीनगर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड एप्लाइड न्यूट्रिशन, गांधीनगर के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8673/17/23]

(7) (एक) इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड एप्लाइड न्यूट्रिशन, गोवा के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड एप्लाइड न्यूट्रिशन, गोवा के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8674/17/23]

(8) (एक) इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड एप्लाइड न्यूट्रिशन, (सोसाइटी), गुरदासपुर के वर्ष 2021-22 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड एप्लाइड न्यूट्रिशन, (सोसाइटी), गुरदासपुर के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8675/17/23]

(9) (एक) इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड एप्लाइड न्यूट्रिशन, गुवाहाटी के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड एप्लाइड न्यूट्रिशन, गुवाहाटी के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8676/17/23]

(10) (एक) इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड एप्लाइड न्यूट्रिशन, ग्वालियर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड एप्लाइड न्यूट्रिशन, ग्वालियर के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8677/17/23]

(11) (एक) इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड एप्लाइड न्यूट्रिशन, हाजीपुर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड एप्लाइड न्यूट्रिशन, हाजीपुर के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8678/17/23]

(12) (एक) इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड एप्लाइड न्यूट्रिशन, हैदराबाद के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड एप्लाइड न्यूट्रिशन, हैदराबाद के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8679/17/23]

(13) (एक) इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड एप्लाइड न्यूट्रिशन, जयपुर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड एप्लाइड न्यूट्रिशन, जयपुर के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8680/17/23]

(14) (एक) इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड एप्लाइड न्यूट्रिशन, कोलकाता के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड एप्लाइड न्यूट्रिशन, कोलकाता के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8681/17/23]

(15) (एक) इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड एप्लाइड न्यूट्रिशन, श्रीनगर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड एप्लाइड न्यूट्रिशन, श्रीनगर के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8682/17/23]

(16) (एक) इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड एप्लाइड न्यूट्रिशन, मुंबई के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड एप्लाइड न्यूट्रिशन, मुंबई के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8683/17/23]

(17) (एक) इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड एप्लाइड न्यूट्रिशन, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड एप्लाइड न्यूट्रिशन, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8684/17/23]

(18) (एक) इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड एप्लाइड न्यूट्रिशन, शिलांग के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड एप्लाइड न्यूट्रिशन, शिलांग के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8685/17/23]

(19) (एक) इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड एप्लाइड न्यूट्रिशन,, शिमला के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड एप्लाइड न्यूट्रिशन, शिमला के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8686/17/23]

(20) (एक) इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड एप्लाइड न्यूट्रिशन, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड एप्लाइड न्यूट्रिशन, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8687/17/23]

(21) (एक) इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड एप्लाइड न्यूट्रिशन, लखनऊ के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड एप्लाइड न्यूट्रिशन, लखनऊ के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8688/17/23]

(22) (एक) राष्ट्रीय होटल प्रबंध एवं कैटरिंग टेक्नोलॉजी परिषद, नोएडा के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय होटल प्रबंध एवं कैटरिंग टेक्नोलॉजी परिषद, नोएडा के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8689/17/23]

(23) (एक) राष्ट्रीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंध संस्थान, ग्वालियर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंध संस्थान, ग्वालियर के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8690/17/23]

(24) (एक) भारतीय पाककला संस्थान, तिरुपति के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय पाककला संस्थान, तिरुपति के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8691/17/23]

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी. एल. वर्मा) : माननीय सभापति महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल एग्रीकल्चरल मार्केटिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, गुवाहाटी के वर्ष 2014-2015 से 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल एग्रीकल्चरल मार्केटिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, गुवाहाटी के वर्ष 2014-2015 से 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण को दर्शाने वाले पांच विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8692/17/23]

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सुभाष सरकार) : माननीय सभापति महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) पूर्वोत्तर क्षेत्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, ईटानगर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा

लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) पूर्वोत्तर क्षेत्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, ईटानगर के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8693/17/23]

(2) (एक) केंद्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कोकराझार के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केंद्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कोकराझार के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8694/17/23]

(3) (एक) बोर्ड ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग (ईस्टर्न रिजन), कोलकाता के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बोर्ड ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग (ईस्टर्न रिजन), कोलकाता के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8695/17/23]

(4) डॉ. हरिसिंह गौड़ विश्वविद्यालय, सागर के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8696/17/23]

(6) (एक) भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8697/17/23]

(7) (एक) भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8698/17/23]

(8) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी उत्तराखंड, पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखंड के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी उत्तराखंड, पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखंड के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8699/17/23]

(10) केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[Placed in Library, See No. LT 8700/17/23]

(11) (एक) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजूकेशन एंड रिसर्च, मोहाली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(दो) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजूकेशन एंड रिसर्च, मोहाली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजूकेशन एंड रिसर्च, मोहाली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8701/17/23]

(12) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कालीकट, कालीकट के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कालीकट, कालीकट के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) उपर्युक्त (12) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8702/17/23]

(14) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, महेन्द्रगढ़ के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(15) उपर्युक्त (14) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8703/17/23]

(16) (एक) महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेद-विद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेद-विद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेद-विद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8704/17/23]

(17) (एक) योजना तथा वास्तुकला विद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) योजना तथा वास्तुकला विद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8705/17/23]

(18) मिजोरम विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000 की धारा 46 की उप-धारा (2) के अंतर्गत मिजोरम विश्वविद्यालय (संशोधन) परिनियम, 2022 जो 11 जुलाई, 2022 के भारत के

राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं. 5-40/ईएसटीटी/I/19/4 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8706/17/23]

(19) (एक) हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर (गढ़वाल) के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर (गढ़वाल) के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर (गढ़वाल) के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8707/17/23]

(21) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर, जोधपुर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर, जोधपुर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर, जोधपुर के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8708/17/23]

(22) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंदौर, इंदौर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंदौर, इंदौर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंदौर, इंदौर के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8709/17/23]

(23) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (बीएचयू) वाराणसी, वाराणसी के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (बीएचयू) वाराणसी, वाराणसी के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (बीएचयू) वाराणसी, वाराणसी के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8710/17/23]

(24) (एक) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कोट्टायम, कोट्टायम के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कोट्टायम, कोट्टायम के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8711/17/23]

(25) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जमशेदपुर, जमशेदपुर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जमशेदपुर, जमशेदपुर के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(26) उपर्युक्त (25) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8712/17/23]

(27) नागालैंड विश्वविद्यालय के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[Placed in Library, See No. LT 8713/17/23]

(28) (एक) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान रायचूर, रायचूर के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान रायचूर, रायचूर के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान रायचूर, रायचूर के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(29) उपर्युक्त (28) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8714/17/23]

(30) (एक) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान सोनीपत, सोनीपत के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान सोनीपत, सोनीपत के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(31) उपर्युक्त (30) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8715/17/23]

(32) (एक) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान इलाहाबाद, इलाहाबाद के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान इलाहाबाद, इलाहाबाद के वर्ष 2020-

2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान इलाहाबाद, इलाहाबाद के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(33) उपर्युक्त (32) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8716/17/23]

(34) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी, गुवाहाटी के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी, गुवाहाटी के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी, गुवाहाटी के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8717/17/23]

(35) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान धनबाद, धनबाद के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी, गुवाहाटी के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी

संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8718/17/23]

(36) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद, हैदराबाद के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद, हैदराबाद के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद, हैदराबाद के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8719/17/23]

(37) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गोवा, गोवा के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गोवा, गोवा के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गोवा, गोवा के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8720/17/23]

(38) (एक) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8721/17/23]

(39) (एक) भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(40) उपर्युक्त (39) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8722/17/23]

(41) (एक) भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, बरहमपुर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, बरहमपुर के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(42) उपर्युक्त (41) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8723/17/23]

(43) (एक) सरदार वल्लभभाई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सूरत के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सरदार वल्लभभाई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सूरत के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(44) उपर्युक्त (43) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8724/17/23]

(45) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरुचिरापल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरुचिरापल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(46) उपर्युक्त (45) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8725/17/23]

(47) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मिजोरम के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मिजोरम के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(48) उपर्युक्त (47) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8726/17/23]

(49) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, अरुणाचल प्रदेश के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, अरुणाचल प्रदेश के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(50) उपर्युक्त (49) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8727/17/23]

(51) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सिलचर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सिलचर के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(52) उपर्युक्त (51) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8728/17/23]

(53) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पुदुचेरी के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पुदुचेरी के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(54) उपर्युक्त (53) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8729/17/23]

(55) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, अगरतला के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, अगरतला के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(56) उपर्युक्त (55) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8730/17/23]

(57) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, हमीरपुर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, हमीरपुर के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(58) उपर्युक्त (57) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8731/17/23]

(59) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गोवा, गोवा के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक

प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गोवा, गोवा के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(60) उपर्युक्त (59) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8732/17/23]

(61) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(62) उपर्युक्त (61) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8733/17/23]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (DR. BHAGWAT KARAD): Sir, I beg to lay on the Table:-

(1) A copy of the Consolidated Review* (Hindi and English versions) of the working of Regional Rural Banks for the year 2021-2022.

[Placed in Library, See No. LT 8734/17/23]

---

* Annual Reports and Audited Accounts were laid on 19.12.2022.

(2) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section 1(b) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-

(i) Review by the Government of the working of the United India Insurance Company Limited, Chennai, for the year 2021-2022.

(ii) Annual Report of the United India Insurance Company Limited, Chennai, for the year 2021-2022, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 8735/17/23]

(3) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 114A(3) of the Insurance Act, 1938 and Section 27 of the Insurance Regulatory and Development Authority of India Act, 1999:-

(i) The Insurance Regulatory and Development Authority of India (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2022 published in Notification No. F.No. IRDAI/Reg/3/182/2022 in Gazette of India dated 6th December, 2022.

(ii) The Insurance Regulatory and Development Authority of India (Insurance Intermediaries) (Amendment) Regulations, 2022 published in Notification No. F.No.

IRDAI/Reg/4/183/2022 in Gazette of India dated 6th December, 2022.

(iii) The Insurance Regulatory and Development Authority of India (Appointed Actuary) Regulations, 2022 published in Notification No. F.No. IRDAI/Reg/5/184/2022 in Gazette of India dated 9th December, 2022.

(iv) The Insurance Regulatory and Development Authority of India (Actuarial Report and Abstract for Life Insurance Business) (Amendment) Regulations, 2022 published in Notification No. F.No. IRDAI/Reg/6/185/2022 in Gazette of India dated 6th December, 2022.

(v) The Insurance Regulatory and Development Authority of India (Assets, Liabilities and Solvency Margin of General Insurance Business) (Amendment) Regulations, 2022 published in Notification No. F. No. IRDAI/Reg/7/186/2022 in Gazette of India dated 6th December, 2022.

(vi) The Insurance Regulatory and Development Authority of India (Other Forms of Capital) Regulations, 2022 published in Notification No. F. No. IRDAI/Reg/8/187/2022 in Gazette of India dated 6th December, 2022.

(vii) The Insurance Regulatory and Development Authority of

India (Registration of Indian Insurance Companies) Regulations, 2022 published in Notification No. F. No. IRDAI/Reg/9/188/2022 in Gazette of India dated 6th December, 2022.

[Placed in Library, See No. LT 8736/17/23]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी) : माननीय सभापति महोदय, श्रीमती निर्मला सीतारमण जी की ओर से, मैं केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) अधिसूचना सं. 06/2023 – केंद्रीय उत्पाद शुल्क जो दिनांक 3 फरवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा विमानन टर्बाइन ईंधन के निर्यात और पेट्रोल क्रूड के उत्पादन पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क बढ़ाने के लिए दिनांक 19 जुलाई, 2022 की अधिसूचना सं. 18/2022 – केंद्रीय उत्पाद शुल्क में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(2) अधिसूचना सं. 07/2023 – केंद्रीय उत्पाद शुल्क जो दिनांक 3 फरवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा डीजल पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क बढ़ाने के लिए 30 जून, 2022 की अधिसूचना सं. 04/2022 – केंद्रीय उत्पाद शुल्क में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 8736(A)/17/23]

14.05 hrs.

माननीय सभापति : आईटम नम्बर-15, नियम 377 के अधीन मामले।

… (व्यवधान)

MATTERS UNDER RULE 377*

माननीय सभापति : नियम 377 के अधीन मामले सभा पटल पर रखे जाते हैं। माननीय सदस्य अपने पाठ सभा पटल पर रख दें।

(i) Need to run a new Demu train service between Gopalganj and Patna Junction Railway Station.

श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल (महाराजगंज): मेरा संसदीय क्षेत्र महाराजगंज,बिहार राज्य के प्रमुख और ऐतिहासिक सारण प्रमंडल में है। इस प्रमंडल की आबादी लगभग 90 लाख है। इतनी बड़ी आबादी वाले क्षेत्र की जनता को कार्यालीय समयनुसार पटना जाने आने के लिए कोई भी रेल गाड़ी की सुविधा उपलब्ध नहीं है जबकि गंगा नदी में दीघा से पहलेजा रेल खंड पर रेल पुल का शुभारम्भ कई वर्ष पहले हो चूका है। इस परिस्थिति में यहाँ की जनता को सड़क मार्ग से यात्रा करनी पड़ती है जो कि खर्चीला एवं असुविधाजनक है। अत: माननीय रेल मंत्री जी से आग्रह है कि गोपालगंज से सिवान, दुरौंदा, महाराजगंज, मशरक जं.एवं छपरा ग्रामीण रेलवे स्टेशन होते हुए पाटलीपुत्र या पटना जं. तक एक जोड़ी डेमू रेल गाड़ी का संचालन कार्यालीय समय के अनुसार कराया जाये जिससे कि पूरे सारण प्रमंडल की जनता के साथ मेरे संसदीय क्षेत्र महराजगंज की जनता को इसका लाभ मिल सके।

---

* Treated as laid on the Table.

(ii) Regarding approval of the proposal for construction of roads under the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana in Latur district.

श्री सुधाकर तुकाराम श्रंगारे (लातूर): विगत तीन सालों में प्रधान मंत्री सड़क योजना -3 के तहत लातूर जिले से 25 सड़क व 11 पुलियों के निर्माण संबंधी प्रस्ताव(कुल 36 प्रस्ताव) महाराष्ट्र के ग्रामीण विकास विभाग द्वारा केन्द्र सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय को अनुमोदन हेतु भेजे गए । जब विगत 3 सालों की अवधि मे इन प्रस्तावों के आधार पर किसी ग्रामीण सड़क का निर्माण नही किया गया तो आदरणीय ग्रामीण विकास मंत्री की अध्यक्षता में क्षेत्र के सांसदों के साथ एक बैठक हुई जिसमें योजना के तहत कतिपय ग्रामीण संड़कों के निर्माण के लिए मंजूरी दी गई। उल्लेखनीय है कि योजना के तहत कुल 36 प्रस्तावों में से केवल 5 ग्रामीण सड़कों के निर्माण का अनुमोदन किया गया।

प्रस्तावित ग्रामीण सड़कों के निर्माण में अत्याधिक विलम्ब होने के कारण स्थानीय ग्रामीणों को काफी कठिनाईयां महसूस हो रही हैं । मेरा सरकार से अनुरोध है कि योजना के तहत सभी ऐसे परियोजना प्रस्तावों, जिनकी डीपीआर मंत्रालय के अधीन विचाराधीन है, पर स्वीकृति प्रदान कर इन प्रस्तावित परियोजनाओं पर समयबद्ध ढंग से निर्माण किया जाना सुनिश्चित किया जाए। साथ ही साथ लातूर क्षेत्र में मेरे द्वारा प्रस्तावित कम से कम 200 किलोमीटर सड़कों के निर्माण को मंजूरी प्रदान की जाए और उन पर त्वरित गति से निर्माण कार्य करवाया जाए।

(iii) Need to curb increasing air pollution in the country.

श्री सत्यदेव पचौरी (कानपुर): मैं सरकार का ध्यान भारत में निरंतर गिरती जा रही वायु गुणवत्ता की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। यदि वायु प्रदूषण के प्रति हमारी उदासीनता और संवेदनहीनता इसी प्रकार बनी रही, तो भविष्य में स्थिति अत्यंत विकराल रूप धारण कर सकती है।

भारत में वायु प्रदूषण की समस्या कितनी गंभीर है इसका अंदाजा सरकार इसी बात से लगा सकती हैं कि विश्व स्वास्थ संगठन द्वारा जारी मानक के अनुसार भारत की 130 करोड़ आबादी दूषित हवा में सांस ले रही है। देश में वायु प्रदूषण का जो स्तर है वो एक आम भारतीय से उसके जीवन के औसतन करीब 5.9 वर्ष छीन रहा है। अंतरराष्ट्रीय शोधकर्ताओं का कहना है कि हवा में मौजूद सूक्ष्म कणों ने भारत में शिशु मृत्यु दर के इजाफे में भी योगदान दिया है। यह भयावह स्थिति मेरे संसदीय क्षेत्र कानपुर, जो कि एक औद्योगिक नगर है, में भी विकराल रूप ले सकती है। सरकार द्वारा नि:संदेह इलेक्ट्रिक वेहिकल चलाने जैसे महत्वपूर्ण कदम उठाये गए है। मैंने अपने क्षेत्र कानपुर नगर में 8 महत्वपूर्ण स्थलों पर IIT Kanpur द्वारा विकसित कम लागत वाले प्रदूषण सेंसर लगवाए, परन्तु वायु प्रदूषण के विरुद्ध इस लड़ाई में अभी भी हमें एक लम्बी दूरी तय करनी है। वायु प्रदूषण को दूर करने में हमारी विफलता जीवन के अधिकार से आम नागरिक को वंचित रखने के समान है। प्रदूषण अब सिर्फ शहरी समस्या नहीं है इसलिए 'राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम' के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में भी निगरानी केंद्र स्थापित किये जाने चाहिए, और इस कार्यक्रम को सुदृढ़ बनाने के लिए इसमें दंडात्मक कार्यवाई के प्रावधान जोड़े जाने चाहिए।

(iv) Need to develop Acupressure Shodhh Prashikshan Evam Upchar Sansthan in Prayagraj, Uttar Pradesh as a Centre of Excellence.

श्रीमती केशरी देवी पटेल (फूलपुर): मैं सरकार का ध्यान उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में स्थित एक्यूप्रेशर शोध, प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान, मिंटो रोड , की तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ। यह संस्थान 28 वर्षों से एक्यूप्रेशर के माध्यम से अखिल भारतीय स्तर पर उपचार हेतु कार्य में संलंग्न है। उक्त संस्थान ने एक्यूप्रेशर से सम्बंधित समस्त प्रचलित विधियों को समाहित करते हुए आयुर्वेद के जीवन दर्शन को आधार बना कर अत्यंत प्राचीन भारतीय मर्मदाब चिकित्सा को रूप देते हुए उपचार की एक सरल एवं अत्यंत प्रभावशाली चिकित्सा विकसित की है। तथा इसके साथ ही एक्यूप्रेशर चिकित्सा के माध्यम से अब तक संस्थान द्वारा लगभग एक करोड़ रोगियों का सफल एवं निशुल्क उपचार किया जा चुका है। यह भी उल्लेखनीय है कि इस संस्थान में एक्यूप्रेशर के माध्यम से साधारण से लेकर अत्यंत जटिल बीमारियों का भी सफलतापूर्वक उपचार किया जा रहा है

उक्त एक्यूप्रेशर शोध, प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान द्वारा समय समय पर संसद के विशेष सत्र के दौरान प्रतिवर्ष होने वाले हेल्थ कैंप में भी भाग लिया जा चुका है जिससे बहुत से माननीय सांसदों को भी इसका लाभ प्राप्त हुआ है।

मेरा यह आग्रह है कि उक्त संस्थान की उपर्युक्त विशिष्टताओं को ध्यान में रखते हुए सरकार इस संस्थान को एक उत्कृष्ट संस्थान (Centre of Excellence) और इसको उपचार की एक स्वतंत्र विद्या के रूप में मान्यता देने तथा “भारतीय एक्यूप्रेशर उपचार परिषद् के गठन पर विचार किया जाए।

(v) Regarding improvement in railway services in Gwalior Parliamentary Constituency.

श्री विवेक नारायण शेजवलकर (ग्वालियर): ग्वालियर लोकसभा क्षेत्र में रेल सुविधा के बेहतरीकरण हेतु आग्रह निम्नवत हैं :-

1. ग्वालियर से सप्ताह में तीन दिन चलने वाली ग्वालियर – अहमदाबाद एक्सप्रेस 22547 को प्रतिदिन करने की आवश्यकता है।

2. कोविड-19 के बाद ट्रेनों का संचालन फिर से होने के बाद भी ग्वालियर – आगरा शटल 51881 का संचालन पुन: नहीं किया गया। इस ट्रेन का संचालन पुन: करते हुये इसे शिवपुरी तक बढाया जाने एवं इसी तरह मोहना स्टेशन पर भी ट्रेनों का ठहराव पूर्व की तरह करने पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जाये।

3. गोंडवाना एक्सप्रेस 12409/12410 का डबरा स्टेशन पर ठहराव समाप्त कर दिया गया है। छत्तीसगढ और महाराष्ट्र के साथ-साथ दिल्ली आवागमन के लिये यही एक महत्वपूर्ण ट्रेन है। इसका ठहराव पुन: किया जाये।

4. राजधानी एक्सप्रेस (22222 / 22221) का अन्य शहरों की तुलना में ग्वालियर का रिजर्वेशन का कोटा बहुत ही कम है जबकि इस ट्रेन से बडी संख्या में लोग मुम्बई उपचार एवं अन्य जरूरी कार्य के लिये यात्रा करते है। इस ट्रेन का ग्वालियर को पर्याप्त रिजर्वेशन कोटा प्रदान करने का कष्ट करें।

5. पूर्व में ग्वालियर स्टेशन पर अधिकतर गाडियों का स्टॉपेज 05 मिनिट से 02 मिनिट कर दिया गया है। जिससे यात्रियों को काफी असुविधा हो रही है।

(vi) Regarding construction of a ring road in Siddharthnagar district, Uttar Pradesh.

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): मैं सरकार का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र सिद्धार्थनगर की ओर दिलाना चाहता हूं। सिद्धार्थनगर भगवान बुद्ध के जन्म स्थान के रूप में प्रसिद्ध है जहां उन्होंने अपने जीवन के पहले 29 वर्ष बिताए थे। सिद्धार्थनगर को नीति आयोग द्वारा लोगों की सामाजिक आर्थिक स्थिति के आधार पर 112 आकांक्षी जिलों के रूप में भी पहचाना गया है। सिद्धार्थनगर के लोग आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सिद्धार्थनगर को एक आकांक्षी जिले के रूप में पहचानने और जिले में विकास और समृद्धि लाने के लिए उनके राष्ट्रीय प्रयासों और दृष्टि और नेतृत्व प्रदान करने के लिए बेहद कृतज्ञ और आभारी हैं। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2024 तक भारत की सड़कों और राजमार्गों को अमेरिका की तरह बनाने का संकल्प जल्द ही पूरा होगा। मैं अनुरोध करता हूं कि सिद्धार्थनगर जिले में सिद्धार्थनगर मुख्यालय के बाहरी इलाके में रिंग रोड बनाने की आवश्यकता है। रिंग रोड से शहर में ट्रैफिक जाम की समस्या दूर होगी और पर्यटकों को सुगमता से यात्रा करने में मदद मिलेगी। रिंग रोड सिद्धार्थनगर के आसपास के जिलों को जोड़ने में भी मदद करेगा और यात्रियों के लिए यात्रा के समय को कम करेगा।

(vii) Regarding shortage of water in Delhi.

SHRI PARVESH SAHIB SINGH VERMA (WEST DELHI): Our capital city of Delhi suffers from acute to severe shortages of water from time to time. Delhi's daily water usage in 2021 was estimated to be 1,380 million gallons (5,223 million liters). According to data, about 7.7% of Delhi homes use bottled water, while another 5.04% rely on water tankers to acquire water. Over 380 million gallons of water are lost each day in Delhi due to the demand-supply imbalance.

A Megacity like Delhi which is home to millions of people coming from different walks of life cannot be left suffering without the availability of one of the basic needs which is water. It is the necessity of time that the problem of shortage of water is solved. I urge the Government to take note of this issue.

(viii) Need to construct a four-lane road from Deharda Chauraha to Bangla Chauraha in Madhya Pradesh and also connect Ashoknagar in the State with National Highway.

श्री कृष्णपालसिंह यादव (गुना): शिवपुरी जिले के देहरदा तिराहे से अशोकनगर जिले के बंगला चौराह तक की दूरी लगभग 110 कि0मी0 है और उक्त मार्ग को फोरलेन करने तथा जिला अशोकनगर को राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ने की मांग जनता द्वारा वर्षों से की जा रही है। यह मार्ग फोरलेन होने से शिवपुरी और अशोकनगर दो राजमार्ग NH 3-आगरा-मुम्बई और NH-46-दिनारा-पिछोर चंदेरी से बंगला चौराह से भोपाल मार्ग से जुड़ जाएँगे। इसके कारण ग्वालियर और दिल्ली से जाने वाले वाहनों को भोपाल तक पहुचने में कम समय लगेगा और ईंधन की बचत होगी। संसदीय क्षेत्र के जिला शिवपुरी में प्रसिद्ध माधव नेशनल पार्क,जिला अशोकनगर में प्रसिद्ध इतिहासिक चंदेरी नगरी में थूबोनजी,ईसागढ़ में आनंदपुर ट्रस्ट और प्रसिद्ध धार्मिक स्थल करीला धाम है। जिला अशोकनगर में ए-क्लास की अनाज मण्डी है जहां पर सरबती गेंहू का काफी उत्पादन होता है और पूरे देश में इसका निर्यात होता है, व्यापारियों को दूरस्थ जिलों तक यात्रा करनी पड़ती है। अशोकनगर में जनजाति समुदाय के काफी संख्या में ग्राम हैं जिनके विकास के लिए भी इसको राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ना अनिवार्य है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के तहत देहरदा तिराहा से बंगला चौराहा तक फोरलेन मार्ग निर्माण तथा जिला मुख्यालय अशोकनगर को राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ने की स्वीकृति प्रदान करें।

(ix) Regarding adequate compensation to people of Gram Panchayats in Sanjay Gandhi Rashtriya Udyan in Sidhi Parliamentary Constituency facing displacement from their habitat.

श्रीमती रीती पाठक (सीधी): मेरे संसदीय क्षेत्र सीधी के कुसमी अंतर्गत ग्राम पंचायत मझिगवा,भदौरा व रूंदा जो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के द्वारा विस्थापित है,इनके विस्थापन के प्रक्रिया की शुरुआत 21 फरवरी 2008 को तत्कालीन केंद्र सरकार के बाघ संरक्षण अधिनियम के तहत जारी आदेश से हुई एवं 13 अप्रैल, 2017 को विस्थापन की घोषणा हुई। किन्तु उचित मुआवजा राशि न मिलने के कारण ग्रामीणजन विस्थापित होने को तैयार नही है, उनका कहना है कि वर्षों से उन्होने इस गाव मे बहुत कुछ बनाया है ,पेड़, वृक्ष ,घर आदि परंतु इस राशि से कही जमीन भी नही खरीदी जा सकती। शासन की कुछ योजनाओं का लाभ ग्रामवासियों को मिल रहा है परंतु केंद्र सरकार की दो महत्वपूर्ण योजनाएँ प्रधानमंत्री आवास योजना व सौभाग्य योजना का लाभ नही मिल पा रहा है, ये तीनों पंचायते आज भी विद्युत विहीन है । प्रधानमंत्री आवास तो गरीबो के लिए वरदान साबित हो रही है किन्तु इन योजनाओं से विस्थापित पंचायतों के निवासी वंचित है ! मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि उक्त विस्थापित ग्राम पंचायतों मे पुनः मूल्यांकन कराकर उचित मुआवजा राशि दिलाने की कृपा करें ।

(x) Regarding mode of recruitment in government jobs in Rajasthan.

श्रीमती जसकौर मीना (दौसा): शिक्षित युवा वर्ग कड़ी मेहनत के पश्चात् शैक्षिक परीक्षाएँ उत्तीर्ण करता है, विभिन्न विभागो मे सरकारी सेवा हेतु प्रयास करता हैं। दुर्भाग्यवश भ्रष्टाचार के चंगुल में फँसकर निराशा की गहरी पीड़ा तक झेलता हैं। राजस्थान में 11 वार परीक्षा मे पेपर लीक तथा कद्दावर लोगो द्वारा नकल करने के कारण योग्य परीक्षार्थी निराशा में डूब कर आत्म हत्या तक कर बैठते हैं।

मेरा अनुरोध हैं कि अभ्यर्थियों कि शैक्षिक योग्यता की मैरिट बनाई जाये एवं उनकी शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांकों के आधार पर ही नियुक्तियाँ दी जायें एवं अनावश्यक परीक्षा भर्ती बंद की जायें जैसा कि राजस्थान शिक्षा विभाग में पूर्व में यही व्यवस्था पारदर्शी तरीके से अपनाई जाती थी। अनावश्यक कोचिंग का भार परीक्षार्थी पर नहीं पड़ता था। सरकार द्वारा अलग से परीक्षा करने का भार भी नहीं था । नकल कर नौकरी पाना भी व्यवस्था को कमजोर करता हैं।

(xi) Regarding investigation into alleged illegal mining irregularities in the implementation of the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana and seeking information on Aanganwadi Kendras in Bharatpur Parliamentary Constituency.

श्रीमती रंजीता कोली (भरतपुर): मेरे द्वारा संसदीय क्षेत्र भरतपुर में आंगनवाडी केन्द्रों की सूचना, अवैद्य खनन, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में शिलान्यास व गुणवत्ता की जांच हेतु पत्र के द्वारा अनेक बार संबन्धित विभाग से निवेदन किया गया है। लेकिन मेरे द्वारा उठाए गए कार्यों में रूचि नहीं ली गई है। चाहे कामां में बनी कोई प्रधानमंत्री ग्राम सडक की सडक हो अथवा अवैद्य खनन की शिकायत हो और चाहे पहाडी के ग्राम नांगल में अवैद्य खनन की कोई शिकायत हो। मेरे द्वारा सभी विषयों पर 2-2 बार पत्र लिखे जा चुके हैं परन्तु उन पर कोई कार्यवाही नहीं होती है। चाहे मेरे संसदीय क्षेत्र के अधिकारों की कोई शिकायत हो या मेरी अन्य शिकायत हो। अतः केंद्र सरकार से निवेदन है कि उपरोक्त विषयों की जांच करवाते हुए जो सूचना मैने मांगी है वो उपलब्ध करवाकर मेरे संसदीय अधिकारों की रक्षा करवाने की कृपा करें।

(xii) Need to construct washing line in Jagdalpur Railway Station.

श्री दीपक बैज (बस्तर): छत्तीसगढ़ के जगदलपुर रेलवे स्टेशन पर वर्ष 2018 में वाशिंग लाईन का निर्माण रेलवे ने प्रारंभ किया था पर इस वाशिंग लाइन का निर्माण आधा-अधूरा छोड़ दिया गया है और निर्माण कार्य कई वर्षों से बंद चल रहा है?

जगदलपुर रेलवे स्टेशन में वाशिंग लाइन के निर्माण हो जाने पर यहां से चलने वाली और यहां से गुजरने वाली ट्रेनों की धुलाई करने का प्रस्ताव पूर्व तट रेलवे का था। इससे स्थानीय जनता को रोजगार के अवसर मिलता पर काम अधर में लटका है। चिंता की बात है कि आम बजट 2023-24 में भी छत्तीसगढ राज्य के जगदलपुर स्टेशन पर वाशिंग लाइन के आधा-अधूरे निर्माण को पूर्ण कराने के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। मेरी मांग है कि सरकार जगदलपुर रेलवे स्टेशन पर वाशिंग लाइन का निर्माण अविलम्ब पूर्ण कराए।

(xiii) Regarding prevalence of drug related activities in various universities and educational institutions of Punjab.

SHRI RAVNEET SINGH (LUDHIANA): I express my deep concern on the growing menace of drug peddling and drug consumption in the various Universities and other educational institutions of Punjab allegedly engineered by some of the foreign students especially from the African countries studying in these educational institutions. Punjab has been long suffering due to rampant drug abuse which is a grave public health problem, particularly, among the younger generation. Earlier, the border with Pakistan used to be the only route for supply of drugs. Increasingly, heroin and other synthetic drugs are being supplied by using African students studying in various Universities in Punjab for peddling the drug contrabands. I understand that the intelligence agencies had found that these students living in India and especially in Punjab have formed groups on social media. In many cases, it has been seen that conduits start living with these students and they get them into drug trade. I request the Government to counter this problem by development of a comprehensive strategy and increased surveillance on all such drug related activities of African students in Punjab though without unnecessarily creating any hassle for these students or creating any panic among them.

(xiv) Regarding sanction of funds for construction of a Railway Over Bridge (RoB) at Tarakeshwar in Arambagh Parliamentary Constituency.

SHRIMATI APARUPA PODDAR (ARAMBAG): Tarakeshwar in my Arambagh Parliamentary Constituency is a busy agricultural belt as well as a business hub. Pilgrims from all over India come here for worship. Common people face lots of problems near Rail gate of Tarakeshwar. There is a long pending demand for construction of a Road Over Bridge (RoB).

I urge the Government to sanction and allocate funds for construction of ROB at Tarakeshwar.

(xv) Regarding four-laning of National Highway Nos. 63 and 548C in Maharashtra.

श्री ओम पवन राजेनिंबालकर (उस्मानाबाद): मेरे लोक सभा क्षेत्र के लातूर जिले से होकर उस्मानाबाद, बार्शी, कुर्डुवाडी होकर टेंभुर्णी (राष्ट्रीय महामार्ग क्र. 63 और राष्ट्रीय महामार्ग क्र. 548 C) लातूर – कुसलंब – टेंभूर्णी मार्ग लातूर – उस्मानाबाद - सोलापूर जिलो में यातायात का प्रमुख मार्ग है तथा मराठवाडा से होकर पश्चिम महाराष्ट्र के पुणे और मुंबई के साथ ही महाराष्ट्र के पवित्र तीर्थ क्षेत्र पंढरपुर को सीधे जोड़ता है। इस मार्ग से बड़ी मात्रा में श्रद्धालु पंढरपुर जाते हैँ। वर्तमान में यह महामार्ग परिवहन योग्य न होने के कारण परिवहन तथा यातायात में बहुत सारी समस्याएं आ रही हैँ इसको देखते हुए टेंभुर्णी-बार्शी-लातूर इस राष्ट्रीय महामार्ग को फोर लेन में परिवर्तित करने की आवश्यकता है! इस महामार्ग को फोरलेन में निर्माण होने से कई बाजार पेठें जैसे की टेंभुर्णी, कुर्डुवाडी, बारशी, पांगरी, येडशी, ढोकी, मुरुड आदि के विकसित होने मे सहायता मिलेगी!

अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि मेरे संसदीय क्षेत्र के राष्ट्रीय महामार्ग क्र. 63 और राष्ट्रीय महामार्ग क्र. 548 C को फोरलेन में परिवर्तित किया जाये ।

(xvi) Regarding increase in Passenger fare in Train Nos. 03271/72, 03395/96 and 03631/32 and other railway related issues in Nalanda Parliamentary Constituency.

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा): मेरे संसदीय क्षेत्र नालंदा में इस्लामपुर-पटना-इस्लामपुर (train no. 03271/72 एवं 03395/96) और नटेसर-फतुहा-नटेसर (train no. 03631/32) विगत कोरोनाकाल की बन्दी के बाद से स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन संख्या के साथ संचालित हो रहा है और इसका किराया लगभग दोगुना वसूला जा रहा है। जैसे कोरोना से पूर्व जहाँ यात्रियों को 20 रूपये का यूटीएस टिकट मिलता था, अब वह 40 रूपये का हो गया है। वैसे ही मंहगाई के कारण आम जनता की आर्थिक स्थिति दिनोंदिन दयनीय होती जा रही है। ऊपर से दोगुना रेल किराया लोगों को परेशानी में डाल रहा है। विशेषकर मैं दानापुर मण्डल की गाड़ी संख्या: 03271/72, 03395/96 और 03621/32 की बात करना चाहता हूँ। इस ट्रेन में अभी भी अतिरिक्त दोगुना किराया वसूला जा रहा है।

इस बाबत मैं माननीय मंत्री जी से भी मिलकर मामले को उठाता रहा हूँ, मगर समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ है। हावड़ा-राजगीर फास्ट पैसेंजर से सुल्तानगंज में उतरकर लोग देवघर जाते थे, वह भी कोविड के कारण बंद है, उसे चालू किया जाये। इसके अतिरिक्त गया-बख्तियारपुर डीएमयू को सभी स्टेशनों पर रोके जाने के साथ ही इंटरसिटी को नालंदा रेलवे स्टेशन पर रोका जाये।

राजगीर, दनियावां, फतुहा तक ट्रेन जाती है और रामपुर हाल्ट पर ट्रेन रूकती है, लेकिन वहाँ पर टिकट नहीं कटता हैं। इसलिए रामपुर हाल्ट पर टिकट काऊंटर की व्यवस्था किया जाये।

पावापुरी एवं कुण्डलपुर भगवान महाबीर जी के मानने वाले जैनी लोग बड़ी संख्या में मुम्बई से आते हैं। इसलिए (13201/13202) पटना-लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस जो पटना में खड़ी रहती है इसको राजगीर तक विस्तार किया जाये।

(xvii) **Regarding backfilling of Handidhua and Deulbera Mines in Mahanadi Coal Fields.**

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): In Talcher Coal Field Area, two underground mines viz. Handidhua and Deulbera were allotted to Mahanadi Coalfields Ltd. (MCL which is a subsidiary of Coal India Limited under the Ministry of Coal. Handidhua mine which lies closed since 1998, requires 585000 cums of sand stowing. Till date, 432145 Cums has been completed leaving another 152855 Cums to be done. Deulbera mine which has been closed since 2006 requires 330400 Cums of sand stowing. Till date, 106100 Cums has been completed leaving another 224300 Cums to be done. However, no appreciable progress has been achieved by the MCL with regard to sand stowing/back filling in its closed background mines under the Talcher Coal Field area. Against the total target of 9.15 lakh Cums of sand stowing in such mines, only 5.03 lakh Cums of sand stowing has been done so far. Unless prompt action is taken to complete the back filling, the chances of land subsidence cannot be ruled out in those areas.

I would urge upon the Government to take urgent steps to fill up the balance at the earliest along with the detailed plan formulated to complete the Backfilling in these two underground mines.

(xviii) Need to draw a blueprint for all round development of Azamgarh district.

श्रीमती संगीता आजाद (लालगंज): उत्तरप्रदेश जनपद आज़मगढ़ में महाविकास की योजना की रूपरेखा नहीं तैयार होने के कारण जनपद में कोई विकास कार्य नहीं हो रहा है जिसके कारण जनपद अन्य जनपदों से काफ़ी पिछड़ा हुआ है। न तो नदियों में आई बाढ़ का कोई नियंत्रण है और न ही रिंग रोड के निर्माण का कोई नक्शा तैयार है। NH-233 पिछले 6 सालों से निर्माणाधीन है पर अभी तक पूरा नहीं हुआ। pmgsy के तहत सड़क निर्माण सत्र ख़त्म होने को है पर काम पूरा नहीं है। हर घर जल योजना जनपद में मात्र 30% सर्वे ही हो पाया है। छोटे जनपदों की विकास की रूपरेखा तैयार न होने के कारण वे बिकास की मुख्य धारा से जुड़ नहीं पा रहे हैं। मेरी सरकार से माँग है कि आज़मगढ़ को विकसित करने के लिए एक ठोस विकास का ढाँचा तैयार किया जाये और एक सिरे से उस पर काम किया जाये।

(xix) Regarding Construction of bridges in Samastipur Parliamentary Constituency.

श्री प्रिंस राज (समस्तीपुर) : समस्तीपुर संसदीय क्षेत्र अंतर्गत जनहित में निम्नांकित दो पुलों का निर्माण कराया जाना अति आवश्यक है:-

1. समस्तीपुर जिले के समस्तीपुर कार्य प्रमंडल, RWD, अंतर्गत मुरादपुर से हरिपुर घाट तक बागमती नदी पर H.L. RCC ब्रिज।

2. समस्तीपुर जिले के रोसड़ा कार्य प्रमंडल, RWD, अंतर्गत T01 से जमुआ मोहिउद्दीनगर Cho+150m पर H.L. RCC ब्रिज।

उपरोक्त क्रम संख्या 1 में अंकित पुल निर्माण के संबंध में मुख्य अभियंता -4, RWD, बिहार को शीर्ष राज्य योजना अंतर्गत प्रशासनिक स्वीकृति के लिए विभागीय स्तर से पत्र भेजा गया है। क्रम संख्या 2 में अंकित पुल निर्माण के संबंध में मुख्य अभियंता -3, RWD, बिहार को NABARD योजना अंतर्गत तकनीकी अनुमोदन के लिए विभागीय स्तर से पत्र भेजा गया है। पिछले सत्र में इसी माध्यम से उठाए गए प्रश्न के उत्तर में बताया गया कि राज्य सरकार से इस मामले को उठाया जाए। जबकि बिहार सरकार के मंत्री एवं मुख्यमंत्री जी को पत्राचार के माध्यम से कई बार आग्रह कर चुका हूँ लेकिन कोई कार्यवाई न होने से जनता को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। केंद्र सरकार से विशेष आग्रह करता हूँ किसी भी योजना से इन पुलों का शीघ्रातिशीघ्र निर्माण कराने की दिशा में सार्थक कदम उठाए।

(xx) Regarding proposal of Baramati Municipal Council for construction of a service road in Baramati.

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE (BARAMATI): Baramati Municipal Council has proposed to construct a service road from Teen Hatti Chowk to Court Building in Baramati. However, some part of this road comes under the jurisdiction of Indian Railways. Ministry of Railways is asking Baramati Municipal Council to take the said patch of land on lease. But this would cause a huge financial burden on the Municipal Council. Hence, the Council are requesting that the lease should be waived off and have proposed that they would bear the construction cost, as well as the maintenance cost entirely. I request the Hon'ble Minster of Railways to kindly consider the proposal given by Baramati Municipal Council.

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : हमारे संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रहलाद जोशी जी अपनी बात रखेंगे।

श्री प्रहलाद जोशी।

... (व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री; **कोयला मंत्री तथा खान मंत्री (श्री प्रहलाद जोशी):** सभापति जी, मैं एक बार फिर से निवेदन करना चाहता हूं कि जब राष्ट्रपति जी का अभिभाषण होता है, तो उस पर धन्यवाद प्रस्ताव पर सबसे पहले चर्चा होती है।... (व्यवधान) जब भी धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होती है, माननीय सदस्य जो भी चाहते हैं, वे बोल सकते हैं। सरकार को उस पर कोई आपत्ति नहीं होती है और पब्लिक डोमेन में वित्त मंत्री जी को जो कहना था, वह कह दिया है। ... (व्यवधान) मैं हाथ जोड़ कर विनती करता हूं कि यह संसदीय परम्परा है कि जब भी राष्ट्रपति जी का अभिभाषण होगा, पहले उस पर धन्यवाद प्रस्ताव पारित करना एक परम्परा है। इस परम्परा से हटना नहीं चाहिए, यह परम्परा तोड़नी नहीं चाहिए।... (व्यवधान) मैं एक बार फिर से निवेदन करता हूं कि आपको जो भी चर्चा करनी है, वह धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा करते समय कर सकते हैं। आप कृपया अपनी सीटों पर जाइए और तुरंत चर्चा शुरू कीजिए।... (व्यवधान) संसद का समय बहुत अमूल्य है।

मैं आपसे निवेदन करता हूं कि कृपया आप अपनी सीटों पर जाइए और चर्चा शुरू कीजिए। सरकार उत्तर देने के लिए तैयार है।... (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, मंत्री जी ने कहा है कि सरकार उत्तर देने के लिए तैयार है। हमें राष्ट्रपति जी के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा करनी है। हमें इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल बिजनेस पर चर्चा करनी है। आप सभी वरिष्ठ सदस्य हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अपने-अपने स्थान पर जाएं।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : सभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 7 फरवरी, 2023 को प्रात: ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

14.07 hrs.

The Lok Sabha, then adjourned till Eleven of the Clock on Tuesday, February 07, 2023/Magha 18, 1944 (Saka).

INTERNET

The Original Version of Lok Sabha proceedings is available on Parliament of India Website and Lok Sabha Website at the following addresses:

http://www.parliamentofindia.nic.in

http://www.loksabha.nic.in

LIVE TELECAST OF PROCEEDINGS OF LOK SABHA

Lok Sabha proceedings are being telecast live on Sansad T.V. Channel. Live telecast begins at 11 A.M. everyday the Lok Sabha sits, till the adjournment of the House.

Published under Rules 379 and 382 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha (Sixteenth Edition)